ABHISHEK SHARMA
Digitally signed by ABHISHEK SHARMA
Date: 2026.08.14 17:33:54 +0500

II-157
C.J.

Witness No. ....12..... For .... **अभियोजन साक्षी** ..... Deposition taken the.....14.08.2026.....day of ...**शुक्रवार**...Witness's apparent age ....**45 वर्ष**.....
States on affirmation.....**शपथपूर्वक**..... .my name is.....**पंकज यादव**.....
S/o .....**श्री बेदराम यादव**.....occupation.....**मजदूरी**.....
address .....**पोकडेगा, थाना–लैलूंगा, जिला–रायगढ (छ.ग.)** .....

साक्ष्य प्रारंभ समय –13:05 बजे

शपथपूर्वक

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राजेश सिंह ठाकुर अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन–

1. मैं न्यायालय उपस्थित अभियुक्त करमसाय चौहान को जानता हूॅ वह हमारे गांव का पंचायत सचिव है। मैं मृतिका संतोषी यादव को जानता हूॅ वह रिश्ते में हमारी बहू थी।

2. घटना लगभग 4–5 साल पहले की है । मैं ग्राम मिलूपारा के एक होटल में काम करता हूॅ । घटना दिनांक को मैं छुट्टी लेकर ग्राम पोकडेगा गया था दूसरे दिन सुबह मैं तालाब जा रहा था तब मुझे पता चला कि संतोषी यादव की मृत्यु हो गई है तब मैं गांव के लोगो के साथ देखने गया था मैं मृतिका के शव को देखा था । उसकी मृत्यु कैसे हुई थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है । पुलिस ने मेरा बयान दर्ज नहीं किया था ।

नोट–इसी स्तर पर साक्षी के द्वारा अभियोजन कहानी का पूर्णतः समर्थन नहीं करने के कारण श्री राजेश सिंह ठाकुर अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा साक्षी से धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (वर्तमान धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के तहत सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, अभिलेख के अवलोकन पश्चात अनुमति दी गई।

3. यह कहना गलत है कि मृतिका संतोषी यादव की मृत्यु के दो माह पूर्व वह अभियुक्त करमसाय चौहान के पास पत्नी के रूप में रह रही थी । यह कहना गलत है कि अभियुक्त करमसाय चौहान संतोषी यादव से लडाई झगडा मारपीट करता था । यह कहना गलत है कि मृतिका संतोषी यादव हमारे घर आयी थी तब उसने बतायी थी कि अभियुक्त उसे लडाई झगडा मारपीट करता है और प्रताडित करता है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक 30.09.2021 को मृतिका फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी । यह कहना गलत है कि अभियुक्त से लडाई झगडा प्रताडना से परेशान होकर मृतिका ने आत्महत्या किया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन **प्रदर्श पी–18** का अंश अ से अ "गांव का करमसाय ----------यही मेरा कथन है।" पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त बयान पुलिस

को देने से इंकार किया । यह कहना गलत है कि अभियुक्त् मेरा परिचित है इसलिए मैं उसे बचाने के लिए आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूॅ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मनीष बेहरा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त–</u>

4. यह कहना सही है कि अभियुक्त गांव का सचिव है जिस कारण से सभी लोग जानते है। यह कहना सही है कि मृतिका का शिवकुमार के साथ शादी हुआ था । यह कहना सही है कि जब मृतिका की मृत्यु हुई उस समय वह अपने पति शिवकुमार के साथ रहती थी । यह कहना सही है कि मृतिका मानसिक रूप से बीमार थी । यह कहना सही है कि अभियुक्त् से गांव के कई लोग सुखदुख में सहायता मांगते है एवं अभियुक्त द्वारा सहायता किया जाता है । यह कहना सही है कि मृतिका ने अभियुक्त से उपचार हेतु सहायता मांगी थी अभियुक्त द्वारा मजदूरी का कार्य दिलाकर उसकी आर्थिक सहायता किया था जिसके कारण मृतिका का अभियुक्त के घर आना जाना लगा रहता था। यह कहना सही है कि अभियुक्त गांव मे अपने घर में अपनी पत्नी एवं बच्चो के साथ रहता है।

साक्ष्य पूर्ण समय 13:20 बजे

वाचित, सत्य एवं स्वीकृत ।

सही/-

(अभिषेक शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/-

(अभिषेक शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

साक्षी के हस्ताक्षर